1630
25/4/2013

(35)

दिनांक-13.04.2013 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में "सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट" प्रदान किए जाने के संबंध में बोधगया के ट्रांसपोर्टरों एवं टूर ऑपरेटरों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री आर.के.महाजन, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार
2. श्री दया शंकर बहादुर - संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया
3. श्री सुरेन्द्र झा - जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
4. श्री गौतम कुमार - मोटरयान निरीक्षक, गया
5. श्री कमल शाही - स्थानिक निदेशक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स

2. श्री कमल शाही स्थानिक निदेशक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मोटर कैब से उपर के वाहनों जिनकी बैठान क्षमता 07 सीट से अधिक की है को "सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट" प्रदान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को हो रही राजस्व हानि का मुद्दा उठाया गया । उन्होंने आयुक्त स्तर पर नियमित बैठकों के नहीं होने तथा मोटरयान निरीक्षक तथा जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा विभागीय पत्र संख्या-4236 दिनांक-27.09.2011 के अनुपालन किए जाने में विलम्ब का भी मुद्दा उठाया गया ।

3. श्री शाही के द्वारा उठाए गए उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया द्वारा यह बताया गया कि चूँकि "सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट" प्रदान किए जाने की शक्ति राज्य परिवहन आयुक्त को प्रदत्त है, फलत: उनके स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी थी । जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक द्वारा मात्र 01(एक) आवेदन प्राप्त होने की बात स्वीकार की गयी ।

4. दोनों पक्षों के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिए गए-

(i) जिला परिवहन पदाधिकारी, गया "सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट" प्रदान किए जाने के संदर्भ में चेक लिस्ट जारी करेंगे । साथ ही आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 48 घंटे के अन्दर मामले की जाँच कर मुख्यालय (परिवहन विभाग) को अनुशंसा भेजेंगे ।इससे संबंधित सूचना ई-मेल के माध्यम से विभागीय वेब-साइट पर भी प्रेषित करेंगे।

चेक लिस्ट से संबंधित सूचना कार्यालय के फ्लैक्स बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे ।

(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी, गया में एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) के माध्यम से आवेदन पत्रों के संकलन, निष्पादन एवं वितरण का कार्य दस दिनों के अंदर पूर्ण किया जाएगा ।इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में एक काउंटर चिन्हित किया जाएगा । आवेदक को 10 कार्य दिवस के भीतर ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट जिला परिवहन कार्यालय, गया में उपलब्ध कराया जाएगा ।

E:\Mamta Parivhan\Parivhan.Docx

134

(iii) स्थायी परमिटधारियों का टैक्स विभागीय पत्रांक–1301 दिनांक 02.04.2013 एवं अस्थायी परमिटधारियों का टैक्स विभागीय पत्रांक–1038 दिनांक 02.03.20 द्वारा निर्धारित दर से जिला परिवहन कार्यालय में लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क एक सौ रूपये, परमिट शुल्क दो हजार रूपये एवं प्राधिकार शुल्क पाँच सौ रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के नाम से भुगतेय होगा, भी आवेदन पत्र के साथ जिला परिवहन कार्यालय, गया में जमा किये जायेंगें ।

(iv) अनुरोध पत्र के आधार पर लघु–अवधियों यथा 03, 07, 14 एवं 28 दिनों के पर्यटक परमिट सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी । क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि इसके लिए उन्हे प्राधिकार द्वारा पूर्व से प्राधिकृत किया गया है।

(v) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक बस स्टैण्ड, गया/बोध गया में यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में एक पत्र पर्यटन विभाग को लिखे जाने का भी निर्णय लिया गया ।

(vi) ''सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट'' के वाहनों के निबंधन प्लेट पर ''पर्यटक परमिट'' अंकित होना चाहिए ।

(vii) दिनांक 08.04.2013 को राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में मोटर कैब के अतिरिक्त टैक्सी/मैक्सी कैब को भी सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

5. उपरोक्त निर्णय को तात्कालिक प्रभाव से लागू किए जाने के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई ।

ह०/- 25/4/13
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार

ज्ञापांक- 1630 पटना, दिनांक- 25/4/2013

प्रतिलिपि : संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/मोटरयान निरीक्षक, गया/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/श्री कमल शाही स्थानिक निदेशक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, राज्य कार्यालय-11/बी., डुमरी हाउस, कवि रमण पथ, पूर्वी बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- 25/4/13
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार